

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ०प्र०)



पत्रांक: पू.वि.वि./एन०ओ०सी०सेल/2016/ 41
दिनांक : 30.6.16

प्रेषक,
कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

सेवा में,
प्रबन्धक,
माता जहेन्द्रा महिला महाविद्यालय, भितरी,
गाजीपुर।

विषय:- प्रस्तावित नवीन महाविद्यालय की स्थापना/संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 05.11.2015 के सन्दर्भ में सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-2103/सत्तर-2-2012-2(166)/2002, दिनांक-09 अगस्त 2012 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय स्तर पर अनापत्ति प्रस्तावों के निस्तारण हेतु कुलपति जी द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 29.06.2016 एवं चार सदस्यों की संस्तुतियों दिनांक 30.06.2016 पर सम्यक् विचारोपरान्त माननीय कुलपति जी ने माता जहेन्द्रा महिला महाविद्यालय, भितरी गाजीपुर को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान, उर्दू विषयों/पाठ्यक्रमों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान कर दी है:-

1. उप जिलाधिकारी, सैदपुर गाजीपुर के पत्र संख्या- 99/XV-एसटी०/2016 दिनांक 20.06.2016 के अनुसार ग्राम- भितरी तरफ सदूर तहसील-सैदपुर जिला- गाजीपुर के आ०नं० 149 रकबा 0.1110 हे०, 150 रकबा 0.1030 हे०, व 165 रकबा 0.7390 हे० कुल 03 गाटा है जो आपस में सटे है यानि 5060 वर्गमीटर महावि० के नाम राजस्व अभिलेख अंकित है। यह भूमि अकृषित एवं महाविद्यालय के नाम विधितः अन्तरित है। भूमि की स्थिति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अन्यथा की दशा में अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
2. उक्त विषय /पाठ्यक्रम में प्राचार्य/प्रवक्ताओं एवं स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा एवं इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी।
3. उक्त पाठ्यक्रम/विषय में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी, जब यह संस्था शासनादेश संख्या-3075/सत्तर-2-2000- 2(166)/2002, दिनांक-27 सितम्बर 2002 एवं समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।
4. उक्त पाठ्यक्रम/विषय के बाबत किसी लायबिलिटी से इस विश्वविद्यालय का कोई सरोकार नहीं होगा तथा संस्था भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो विश्वविद्यालय से माँग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्वों की देनदारी विश्वविद्यालय की होगी।
5. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवरस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
6. उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही दिया जायेगा
7. यह अनापत्ति संस्था द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अभिलेख/प्रपत्रों/प्रविष्टियों के आधार पर प्रदान की जा रही है तथा यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी जाती है तो अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं इसके लिए सचिव/प्रबंधक, प्रबंध समिति स्वयं जिम्मेदार होंगे।
8. महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त सूचना प्रदर्शित करेंगे।
9. Aishe में पंजीकरण अग्रिम वर्षों के अन्तर्गत कराना अनिवार्य होगा।
10. विश्वविद्यालय परीक्षा एवं अन्य शुल्कों के अग्रिम वर्षों का अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप जिलाधिकारी, सैदपुर गाजीपुर।
2. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
3. गार्ड फाईल।

कुलसचिव